<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-264/2004 संस्थित दिनांक- 04.02.2004 रूपसिंह पुत्र गंभीर सिंह आयु 48 साल जाति लोधी धंधा खेती निवासी बुढावली तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र0परिवादी विरुद्ध श्रीपत पुत्र दलू आयु 60 साल, स्थाई वारंट 1. ़जसरथ पुत्र श्रीपत आयु 45 साल, 2. इमरत सिंह पुत्र श्रीपत आयु 40 साल, गुलाब सिंह पुत्र श्रीपत आयु 35 साल, 4. मोहर सिंह पुत्र श्रीपत आयु 30 साल, 5. सभी की जाति लोधी सभी का धंधा. खेती सर्व निवासीगण ग्राम बुढावली, तहसील चंदेरी, करन सिंह पुत्र मोतीलाल आयु 55 साल, 6. सनमान सिंह पुत्र मोतीलाल आयु 45 साल, 7. सभी की जाति लोधी सभी का धंधा खेती. सर्व निवासीगण ग्राम देवल खो तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०

_: <u>निर्णय</u> :-___

.....अभियुक्तगण

(आज दिनांक 15.12.2017 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 147, 323 अथवा 323 / 149 दो शीर्ष, 324 अथवा 324 / 149 के अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.04.2004 को सुबह 4 से 5 बजे बीच स्थान ग्राम गुडावली तहसील चंदेरी में फरियादी के धार के बाहर एक अवैध निर्मित किया, जिसका सामान्य उददेश्य फरियादी रूप सिंह एवं उसके पुत्र बुधभान को उपहित कारित करना था, उक्त सामान्य उददेश्य के प्रवर्तन में फरियादी रूपसिंह एवं बुधभान सख्त व मोथरी वस्तु के साथ ही रूपसिंह को काटने के उपकरण तलवार से स्वेच्छया उपहित कारित कर बलवा किया।

- 02—परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.1997 को परिवादी ने अभियुक्त श्रीपत को 10,950/— रू० नगदी तथा 9 क्विटंल गेंहू कीमत 6,575/—रूपये अर्थात् कुल 17,525/—रूपये उधार दिये थे तथा श्रीपत ने लिखकर शीघ्र रूपया लोटने का बायदा किया था। दिनांक 21.04.2000 को श्रीपत की श्रेंसिंग हो रही थी, परिवादी श्रीपत के पास गया तो श्रीपत ने कहा कि वह श्रेसिंग करके टैक्टर से गेहू परिवादी के घर पर दे आयेगा। दिनांक 22.04.2000 के सुबह लगभग 04:00 या 05:00 बजे अभियुक्त श्रीपत शेष अभियुक्तगण के साथ टैक्टर में गेंहू लेकर आया सभी अभियुक्तगण लाठियों लिये थे व एक राय होकर हमला करने के उददेश्य से आये थे, इमरत सिंह बंदूक लिये था, व गुलाब सिंह तलवार लिये था, अभियुक्त श्रीपत ने आवाज देकर परिवादी को बुलाया तब परिवादी व उसका पुत्र बुधवान बाहर आये। परिवादी ने अभियुक्तगण से हथियारों के बारे में पूछा तो कहा कि चंदेरी जा रहे हैं इस कारण सरक्षा हेत लिये है।
- 03—अभियुक्त श्रीपत ने 10 क्विटंल गेहू परिवादी को दिया जिस पर परिवादी ने कहा काफी रूपया बकाया है इसी बात सभी अभियुक्तगण ने परिवादी से चेट गये तथा परिवादी की एवं उसके पुत्र को लातघूंसों से मारपीट की अभियुक्त गुलाब ने परिवादी पर तलवार से वार किये, जिससे परिवादी दिहने हाथ की अंगुलियों में चोट आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर जहार सिंह और निरपत सिंह चंद्रभान सिंह पुत्र कुंजीलाल तथा भरत सिंह पुत्र जानकी प्रसाद आ गये, जिन्होने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण ने परिवादी को जान से मारने की एवं झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। परिवादी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 दी थी, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस कारण परिवाद पत्र दिनांक 03.05.2000 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 452 तथा 506बी विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो 133/2000 पर पंजीबद्ध हुआ तथा दिनांक 22.01.2004 को परिवादी तथा उसके अभिभाषक की अनुपरिथित में निरस्त हो गया, जिसकी जानकारी होने पर यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने उन्होने दिनांक 22.04.2004 को सुबह 4 से 5 बजे बीच स्थान ग्राम गुडावली तहसील चंदेरी में फरियादी के घर के बाहर एक अवैध समूह के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी रूप सिंह एवं उसके पुत्र बृधभान के साथ मारपीट कर उपहति कारित करना था उक्त सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में बलवा कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपसिंह व उसके पुत्र बुधभान को स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा अभियुक्तगण ने अवैध समूह का सदस्य रहते हुये जिसका सामान उद्देश्य फरियादी रूपसिंह व उसके पुत्र बुधभान को स्वेच्छया उपहित कारित करना था, के अग्रसरण में उपरोक्त अवैध समूह द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा फरियादी रूपसिंह एवं बुधभान को स्वेच्छया उपहित कारित की गई?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपसिंह को काटने के उपकरण तलवार से स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा अभियुक्तगण ने अवैध समूह का सदस्य रहते हुये जिसका सामान उद्देश्य फरियादी रूपसिंह को स्वेच्छया उपहित कारित करना था, के अग्रसरण में उपरोक्त अवैध समूह द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा फरियादी रूपसिंह को काटने के उपकरण तलवार से स्वेच्छया उपहित कारित की गई?
- 4. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एवं साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में परिवाद पत्र में वर्णित घटना को प्रमाणित करने के लिये स्वयं परिवादी रूपसिंह (प0सा0—1) सहित चंद्रभान (प0सा0—2) व परिवादी के पुत्र बुधभान (प0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवादी की ओर से मात्र प्रदर्श—पी—1 का आवेदन प्रकरण में प्रस्तुत किया है।
- 07— रूपसिंह (प0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि दिनांक—14. 07.97 को उसने अभियुक्त श्रीपत को 9 क्विटंल गेंहू दिये थे तथा एक साल बाद 17,225 रूपये उधार दिये थे, जो उसने साल दो साल बाद उक्त रूपये और गेंहू थ्रेसिंग के बाद मांगा, तो आरोपीगण में से गेंहू और रूपये थ्रेसिंग के बाद देने का कहा तथा थ्रेसिंग के बाद सभी आरोपीगण सुबह 4 से 5 बजे के समय उसके घर पर आये और उसे जगाया और 10 क्विंटल गेहूं दिये और जब उसने रूपयों की मांग की, तो सभी आरोपीगण झगडा करने लगे और घटना कारित की।
- 08— परिवादी और अभियुक्त श्रीपत के मध्य गेंहू और रूपये के लेन—देन का विवाद था, इस बात की पुष्टि परिवादी साक्षी चंद्रभान (प0सा0—2), परिवादी के पुत्र बुधभान (प0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। परिवादी रूपसिंह (प0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में हालांकि बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर व्यक्त किया है कि उसे याद नहीं है कि उपरोक्त लेन—देन के विवाद का कोई दिवानी दावा उसने किया था या नहीं, परन्तु आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कण्डिका—2 में यह स्वीकार किया है कि उसने 35,000/— रूपये लेन—देन का दावा न्यायालय में किया था, जो खारिज हो गया था।
- 09— बचाव पक्ष की परिवादी रूपिसंह के प्रतिपरीक्षण में मुख्यप्रतिरक्षा यह है कि दिवानी दावा हार जाने के कारण झूठा परिवाद परिवादी ने लगाया है तथा साथ यह भी प्रतिरक्षा है कि सुबह 04:00—05:00 बजे स्वयं श्रीपत के खेत पर चोरी से गेंहू उठाने आया था, जिसे आरोपीगण ने रोका था। चंद्रभान ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में बचाव पक्ष की ओर से स्वयं सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण ने परिवादी को पैसा वापस दे दिया था तथा कोई प्रकरण शेष

- 10— बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये सुझाव तथा परिवादी सहित साक्षियों के द्वारा न्यायालय में परिवादी तथा अभियुक्तगण के मध्य लेन—देन के विवाद पर से दिये गये कथन एवं परिवादी के द्वारा स्वयं पूर्व में 35,000 / रूपये की राशि की वसूली के लिये अभियुक्तगण के विरूद्ध दिवानी दावा दायर किया जाना तथा उसका खारिज होना स्वीकार कर लेने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि परिवादी तथा अभियुक्तगण के मध्य इस परिवाद के पूर्व से ही लेन—देन का विवाद रहा है तथा परिवादी के द्वारा 35,000 / राशि की वसूली का अभियुक्तगण के विरूद्ध दायर किया गया, दीवानी दावा भी पूर्व में खारिज हो चुका है।
- 11— अतः अभियुक्तगण तथा परिवादी के मध्य लेन—देन के विवाद पर से पूर्व की रंजिश होना, अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्थापित होती है, जिसके संबंध में एक ओर परिवादी पक्ष का यह कहना है कि उक्त विवाद पर से अभियुक्तगण ने घर पर आकर परिवादी तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट की, वही अभियुक्तगण की यह प्रतिरक्षा है कि स्वयं परिवादी ही श्रीपत के खेत से सुबह 04:00 बजे गेंहू चोरी से ले जा रहा था, जिसे अभियुक्तगण ने रोका था और दिवानी दावा खारिज होने के कारण यह झूठा परिवाद अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी ने प्रस्तुत किया।
- 12— जहां दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश होना प्रमाणित होता है वहीं घटना के संबंध में साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के समान होती है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध झूठी कार्यवाही कर सकता है, वहीं उक्त रंजिश के चलते मारपीट की घटना भी कारित हो सकती है।
- 13— वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद अनुसार परिवादी से अभियुक्त श्रीपत ने दिनांक 14.07.97 को 10,950/— रूपये नगद व नौ क्विटंल गेंहू कीमत 6575 रूपये अर्थात् कुल राशि 17525 रूपये (गेंहू की कीमत सहित) प्राप्त किये थे तथा उक्त लेन—देन की लिखा—पढी भी की गई थीं। परिवाद पत्र में उक्त लेन—देन के अलावा अन्य कोई लेन—देन का उल्लेख नहीं है तथा उक्त लेन—देन के विवाद पर से ही दिनांक—22.04.2000 को सुबह 04:00 से 05:00 बजे अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के घर पर आकर परिवादी तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने की घटना के संबंध में परिवाद पत्र

प्रस्तुत किया गया।

- 14— परिवादी रूप सिंह (प0सा0—1) का परिवाद पत्र में वर्णित लेन—देन के विपरीत यह कहना है कि दिनांक-14.07.1997 को श्रीपत को उसने नौ क्विंटल गेंहू दिये थे तथा एक साल बाद 17,225/- रूपये उधार दिये थे। अतः परिवादी का कहीं भी यह कहना नही है कि दिनांक 14.07.1997 को नगद 10.950 / - रूपये परिवादी ने श्रीपत को उधार दिये थे। अतः परिवादी के उपरोक्त कथन परिवादी पत्र में दर्शायें गये लेन-देन के विरोधाभासी है। रूपसिंह (प0सा0-1) मुख्यपरीक्षण में जहां 17,225 / - की रूपये राशि दिनांक-14.07.1997 के एक साल बाद अभियुक्त श्रीपत को देना बताता है तथा दिनांक-17.07.1997 को मात्र नौ क्विंटल गेंहू श्रीपत को देना बताता है। वहीं आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—1 में उपरोक्त कथनों के विपरीत ही परिवादी पूनः यह कहता है कि दिनांक-14.07.1997 को उसने श्रीपत को 10,525 / - रूपये एवं नौ क्विंटल गेंहू दिये थे तथा उक्त दिनांक को ही 17,550 / — रूपये नगद दिये थे। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में रूपसिंह (प0सा0-1) 35,000 / - की राशि श्रीपत को उसी दिनांक को देना बताता है. जिसके संबंध में दायर किया गया दिवानी दावा खारिज होना स्वीकार किया गया।
- 15— अतः रूपसिंह (प0सा0—1) की ओर से परिवाद पत्र में दर्शायें गये लेन—देन एवं उक्त लेन—देन के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों में गंभीर तात्विक विरोधाभास की स्थिति है। यदि 35,000/— रूपये की राशि जिसके संबंध में दिवानी दावा खारिज हुआ, उक्त राशि गेंहू और 10,525/— रूपये उधार देने की दिनांक को ही दी गई थीं और गेंहू और 10,525/— रूपये भी अभियुक्त ने वापस नहीं किये थे, तो विवाद होने के बाद भी मात्र 35,000/— रूपये की वसूली का वाद परिवादी के द्वारा न्यायालय में क्यों प्रस्तुत किया गया, इसका कोई युक्ति—युक्त स्पष्टीकरण परिवादी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 16— परिवाद पत्र में ही नौ क्विटंल गेंहू और 10,950 / रूपये दिये जाने के संबंध में रूपिसंह (प0सा0—1) का कहना है कि उसकी लिखा—पढी हुई थीं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में उक्त लेन—देन की लिखा—पढी होने के संबंध में कथन दिये है, परन्तु आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में परिवादी का कहना है कि अच्छे संबंध होने के कारण वह लिखा—पढी नहीं करवा सका तथा उसे याद नहीं है उक्त लेन—देन की कोई लिखा—पढी उसके पास हो। प्रकरण

में लेन—देन की कोई लिखा—पढी प्रस्तुत नहीं हैं। वास्तव में लेन—देन की कोई लिखा—पढी हुई इस संबंध में परिवादी के कथनों में विरोधाभास होने से उसके कथन विश्वसनीय नहीं है।

- 17— यदि दो व्यक्तियों के मध्य वास्तविकता में कोई लेन—देन का विवाद होता है, तो निश्चित रूप से देनदार व्यक्ति कितने भी समय के पश्चात् यह बताने की स्थिति में होता है कि वास्तविकता में दूसरे व्यक्ति पर कितनी राशि अथवा कितनी उधारी बकाया है तथा कब—कब उसके द्वारा कितनी—कितनी राशि उधार दी गई, विशेषकर वहां जहां 17 सालों से दोनों पक्षों में संबंध में विवाद की स्थिति है। परिवादी के न्यायालीन कथनों में परिवादी पत्र में दर्शायें गये लेन—देन के संबंध में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है, वहीं लेन—देन की ऊपर से दिवानी दावे का खारिज होना तथा परिवादी के पास लेन—देन की लिखा—पढ़ी का कोई युक्ति—युक्त प्रमाण न होना निश्चित रूप से परिवाद पत्र में वर्णित विवाद के कारण को संदेह के घेरे में ले आता है, कि वास्तव में परिवादी की उधारी न दिये जाने पर से अभियुक्तगण के द्वारा कोई विवाद किया भी गया था या नही।
- 18— रूपसिंह (प0सा0—1) का कहना है कि थ्रेसिंग के बाद सभी आरोपीगण सुबह 04:00 से 05:00 बजे उसके घर पर आये थे और 10 क्विटंल गेंहू दिये थे परिवादी का कहना है कि अभियुक्त गुलाब तलवार लिये थे तथा इमरत बंदूक लिये था तथा अन्य लोग लाठी लिये थे और हथियारों की पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया था, कि वह चंदेरी जा रहे है। इस दौरान उसका लडका बुधभान (प0सा0—3) भी वहां आ गया था। बुधभान (प0सा0—3) ने भी उपरोक्त कथनों की पुष्टि अपने न्यायालीन कथनों में की है।
- 19— परिवादी पत्र में वर्णित घटना व रूपसिंह (प0सा0—1) एवं बुधभान (प0सा0—3) के उपरोक्त कथन अनुसार अभियक्तगण जब परिवादी के घर पर आये थे, तो वह लाठियों से लेष थे तथा अभियुक्त गुलाब तलवार लिये था तथा इमरत बंदूक लिये थे तथा वह हथियार इस लिये थे, क्योंकि उन्हें चंदेरी जाना था तथा वह परिवादी के घर पर गेंहू देने आये थे और पैसे मांगने पर से विवाद हुआ था। अतः उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि यदि उक्त घटना को सहीं मान भी लिया जाये, तो अभियुक्तगण की परिवादी के घर पर उपस्थिति कोई अपराध कारित करने की नियत नहीं थी, बल्कि वह हथियारों के साथ अपना अनाज लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चंदेरी जा रहे थे।

- 20— रूपिसंह (प0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में बुधवान (प0सा0—3) जो कि उसका लड़का है, के भी मौके पर उपिस्थित होना के संबंध में कथन दिये है तथा चंद्रभान (प0सा0—2) को घटना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया है। अतः निश्चित रूप से यदि यह तीनों व्यक्ति एक समय में मौके पर थे, तो उन्होने एक जैसी ही घटना देखी होगी और यदि वास्तव में कोई घटना इन व्यक्तियों के साथ या उनके समक्ष अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई तो इन व्यक्तियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
- 21— रूपसिंह (प0सा0—1) अपने कथनों में बुधभान (प0सा0—2) की घटना स्थल पर तो उपस्थिति बताता है, परन्तु अभियुक्तगण ने बुधवान (प0सा0—2) के साथ मौके पर कोई मारपीट कर उपहित कारित की, इस संबंध में परिवादी ने अपने न्यायालीन कथनों में कोई कथन तक नहीं दिये है। यहां तक कि संपूर्ण परिवादी पत्र में परिवादी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का तो उल्लेख है परन्तु बुधभान के साथ वास्तव में अभियुक्तगण ने कोई मारपीट की इसका उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं है।
- 22— बुधभन (प0सा0—3) का अपने कथनों में कण्डिका—2 में मात्र यह कहना है कि अभियुक्तगण उसके और उसके पिता से चैट गये थे, परन्तु किस अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे घटना में कहा चोटें आई, इसका कोई उल्लेख बुधभान (प0सा0—3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में नही किया है। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कहता है उसे घटना में कोई चोट नहीं आई उसे केवल एक लात मारी थी जिससे वह घबरा कर भाग गया था। उक्त लात किसने मारी, इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये तथा यह साक्षी स्वयं उक्त लात पड़ने के बाद घटना स्थल से भाग जाना बताता है, जिससे यह भी संशेय की स्थिति है कि वास्तव में उसने परिवादी के साथ कोई मारपीट होते हुये देखी थी अथवा नहीं।
- 23— परिवादी रूपसिंह (प0सा0—1) व बुधभान (प0सा0—3) घटना के समय चंद्रभान (प0सा0—2) को मौके पर उपस्थित होना बताते है, यदि चंद्रभान सिंह घटना स्थल पर उपस्थित था और बुधभान (प0सा0—3) को किसी अभियुक्त ने लात मारी थी और अभियुक्त घटना स्थल से भाग गया था, तो यह घटना स्वयं चंद्रभान (प0सा0—2) ने भी देखी होगीं, परन्तु चंद्रभान (प0सा0—2) के कथन उपरोक्त कथनों के विपरीत है चंद्रभान (प0सा0—2) अपने मुख्यपरीक्षण में तो मात्र एक साधारण से कथन देते हुये कहता है कि उसने आरोपीगण को बुधभान और रूपसिंह मारपीट करते हुये देखा था, परन्तु किस अभियुक्त ने

उन्हें कहा चोट पहुचाईं, यह इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। चंद्रभान (प0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में कहता है कि उसने मारपीट होते हुये देखी थी, तथा इमरत बंदूक की नाल से बुधभान को मार रहा था। जब कि स्वयं बुधभान (प0सा0-3) को ऐसा कही कहना नहीं है कि इमरत ने बंदूक नाल से उसके साथ मारपीट की थी।

- 24— अतः चंद्रभान (प0सा0—2) के द्वारा बुधभान की मारपीट इमरत के द्वारा बंदूक की नाल से किये जाने के संबंध में दिये गये कथनों स्वयं बुधवान (प0सा0-3) के कथनों से मेल नही खाती है। यदि बुधभान (प०सा0-3) के साथ इमरत के द्वारा बंदूक की नाल से कोई मारपीट की गई होती, तो वह स्वयं आहत होकर यह बताने की स्थिति में होता, परन्तु बुधवान (प0सा0-3) का इस संबंध में कोई कथन न देना, चंद्रभान (प0सा0-2) के द्वारा दिये गये कथनों को असत्य साबित करता है।
- 25— यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक—14.02.2012 को हुये मुख्यपरीक्षण में एव प्रतिपरीक्षण में चंद्रभान (प0सा0-2) का कहीं भी यह कहना नही है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से रूपसिंह और बुधभान के साथ मारपीट की थी, परन्तु लगभग 5 वर्ष बाद दिनांक-30.10.2017 को इस साक्षी का यह कहना कि अभियुक्त इमरत ने बंदूक की नाल से बुधवान के साथ व रूपसिंह को गुलाब ने तलवार से हाथ की उंगुली में उपहति कारित की थीं, जो कि घटना के लगभग 17 वर्ष बाद दिये गये कथन है, अपने आप में इस साक्षी के कथनों को अविश्वसनीय बनाता है क्योंकि वास्तविकता में इस साक्षी ने कोई मारपीट की ध ाटना देखी होती, तो वह पूर्व में भी इस संबंध में कथन दे सकता था।
- 26— परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्तगण सुबह 04:00—05:00 बजे परिवादी के घर पर आये थे तथा अभियुक्तगण के बुलाने पर परिवादी तथा उसका पुत्र बुधभान घर के बाहर आ गये थे तथा वहीं पर घटना कारित हुई। प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श-पी-1 के आवेदन में इसी प्रकार की ध ाटना का लेख हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि घर के अंदर घुसकर अभियुक्तगण के द्वारा कोई मारपीट की घटना नहीं की गई, बल्कि विवाद घर के बाहर हुआ। स्वयं परिवादी रूपसिंह का कहीं भी यह कहना नही है कि अभियुक्तगण ने घर के अंदर घुसकर मारपीट की घटना कारित की थी।
- 27- यदि वास्तविकता में कोई घटना घटित होती है तो घटना मे आहत व प्रत्यक्षदर्शी यह बताने की स्थिति में होते है कि वास्तव में घटना स्थल कौन सा

स्थान था, विशेषकर ऐसी घटना जो किसी घर के अदंर घटित हुई हो। प्रदर्श-पी-1 का आवेदन जो कि घटना के दूसरे दिन ही थाने पर दिये जाना बताया गया है, में घटना घर के अंदर की होना लेख नही है, परन्तु परिवाद पत्र की कण्डिका-4 में गृहअतिचार शब्द का प्रयोग किया गया है, जबिक पूरे परिवाद पत्र में गृहअतिचार की घटना का लेख नही है, जिससे यह दर्शित होता है कि गृहअतिचार की घटना का परिवाद पत्र में लेख होना विधिक सलाह एवं पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित हैं।

- 28— स्वयं परिवादी रूपिसंह (प0सा0—1) का कहीं भी यह कहना नही है कि अभियुक्तगण ने घर में घुसकर उसके व उसके पुत्र के साथ मारपीट की थीं। जहां तक की बुधभान (प0सा0—3) के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट की, इस संबंध में रूपिसंह (प0सा0—1) ने कोई कथन तक न्यायालय में नही दिये है वहीं चंद्रभान (प0सा0—2) के कथन उपरोक्त संबंध में विश्वसनीय नही है। चंद्रभान (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में परिवाद पत्र की घटना एवं परिवादी के कथनों के विपरीत यह कहता है कि मारपीट घर के अंदर हुई थीं, वह घर के अंदर गया था और उसने देखा कि बुधभान को इमरत मार रहा है तथा इसके अलावा उसने और कुछ नही देखा।
- 29— इसी प्रकार बुधभान (प0सा0—3) भी घटना स्थल के संबंध में कहीं विरोधाभासी कथन न्यायालय में देता है जबिक स्वयं वह घटना में आहत बताया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अपने पिता के साथ घर के बाहर अभियुक्तगण से बात करना बताया है तथा इस साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में कहना है कि उसके घर के अदंर सभी आरोपीगण घुस आये थे तथा घर के अंदर घुसकर उसके और उसके पिता के साथ मारपीट की थीं। यदि बुधवान को मात्र एक ही लात मारी थी और वह उसके बाद भाग गया था, तो घर के अंदर घुसकर उसके व उसके पिता के साथ आरोपीगण के द्वारा मारपीट की जाने वाली घटना सही है या उसके एक लात पड़ने के बाद भाग जाने वाली घटना सही है, इस संबंध में इस साक्षी के कथन ही स्पष्ट नही है।
- 30— अतः चंद्रभान (प0सा0—2) व बुधभान (प0सा0—3) का कहना है कि अभियुक्तगण ने घर में घुसकर मारपीट की थीं, इस कारण से विश्वसनीय नही है कि क्योंकि प्रदर्श—पी—1 के आवेदन में परिवाद पत्र में वहीं परिवादी रूपसिंह (प0सा0—1) के कथनो में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नही है, यदि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना होती, तो घटना के तुरंत बाद यदि प्रदर्श—पी—1 का आवेदन थाने

पर दिया था, तो उसमें इस बात का उल्लेख होता। बुधभान (प0सा0—3) के साथ वास्तव में घटना में किसने मारपीट की। कहां उसे चोटें आई, किस स्थान पर मारपीट हुई इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों के कथन गंभीर रूप से विरोधाभासी है, वहीं रूपंसिंह का बुधभान की मारपीट के संबंध में कोई कथन न देना, इन साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थित ही संदिग्ध बनाता है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में इनके सामने कोई घटना हुई थी भी या नहीं।

- 31— परिवाद पत्र के अनुसार घटना में अभियुक्त गुलाब ने परिवादी रूपसिंह पर तलवार से वार किया था, जिससे उसकी दाहिने हाथ की उंगुलियों में चोट आई थी। यदि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई थी, तो घटना में स्वयं आहत रूपसिंह (प0सा0—1) के कथनों में इस सबंध में विरोधााभास नही होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उसे तलवार की चोट दाहिने हाथ की उंगुलियों में आई थी तो ऐसी चोट के बारे में कोई आहत कितना भी समय व्यतीत हो जाने के बाद बता सकता है कि उसे कहा चोट आई थी।
- 32— रूपसिंह (प0सा0—1) का अपने मुख्यपरीक्षण में कहना है उसके बायें हाथ में गुलाब के द्वारा तलवार के बार से चोट लगी थी, जबिक परिवाद पत्र में दाहिने हाथ का उल्लेख है। परिवादी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में जो कि उपरोक्त कथन देने के लगभग 6 वर्ष बाद हुये हैं, सुधार करते हुये कहता है उसके दाहिने हाथ की उंगुली में तलवार की चोट आई थीं। किस उंगुली में चोट आई थीं, इसके संबंध में उसका कहना है कि उसे ध्यान नही है। पूर्व में हुये कथनों में परिवादी के द्वारा विरोधाभासी कथन दिये गये कि उसे वास्तव में उसे तलवार से किस हाथ में चोट आई थीं, वही परिवादी का पश्चात्वर्ती प्रतिपरीक्षण में कहीं भी यह कहना नहीं है कि उसके दाहिने हाथ की सभी उंगुलियों में चोट आई थीं, वह स्वयं बताने की स्थिति में नहीं है उसकी वास्तव में किस उंगुली में चोट आई थीं।
- 33— रूपिसंह (प0सा0—1) के दाहिने हाथ की उंगुली अगर तलवार से कटी होती तो निश्चित रूप से घटना के संबंध में परिवाद तुरन्त ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो उक्त चोट का कोई चिकित्सीय प्रमाण भी परिवादी के पास होता, परन्तु परिवादी की ओर से प्रकरण में कोई चिकित्सीय प्रमाण घटना में उपरोक्त चोट कारित होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गये। यदि वास्तविकता में परिवादी को तलवार की कोई चोट आती, तो तलवार जैसे हथियार से चोट कारित होने के बाद वह यह बताने की स्थिति में होता कि शरीर के किस भाग

पर उसे चोट आई थी। परिवादी के इस संबंध में विरोधाभासी कथन अपने आप में ही उसके द्वारा कथित घटना को शंकाप्रद बनाते हैं।

- 34— यह उल्लेखनीय है कि परिवाद पत्र में घटित घटना पर शंका उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि घटना दिनांक—22.04.2000 की होना बताई गई हैं तथा उक्त घटना के संबंध में थाने पर प्रदर्श—पी—1 का लेखिये आवेदन दिया जाना बताया गया है, परन्तु उक्त आवेदन वास्तविकता में थाने पर दिया गया था, यह साबित करने का भार भी परिवादी पर है। परिवादी के द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि प्रदर्श—पी—1 के आवेदन पर बी से बी भाग की प्राप्ति किसके द्वारा दी गई थी। अतः यह साबित नहीं होता है कि वास्तव में प्रदर्श—पी—1 का आवेदन दिनांक—22.04.2000 को परिवादी ने थाने पर दिया था।
- 35— न्यायालय के द्वारा थाने की तलब की गई रिपोर्ट में स्वयं थाने की ओर से यह कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया कि इस घटना के सबंध में कोई लेखियें आवेदन थाने में प्राप्त हुआ है, बल्कि जांच प्रतिवेदन में भी यह निष्कर्ष दिया गया है कि दावा हारने के बाद परिवादी ने यह झूठा परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। परिवादी रूपसिंह (प0सा0—1) सिहत चंद्रभान (प0सा0—2) व बुधभान (प0सा0—3) के कथनों में घटना के संबंध में गंभीर तात्विक विरोधाभास हैं तथा वास्तविकता में परिवादी तथा बुधभान के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट कर उपहित कारित की गई, इस आशय का न तो कोई चिकित्सीय प्रमाण अभिलेख पर है और न ही इस संबध में साक्षियों के कथन विश्वसनीय हैं। पूर्व की रंजिश एवं दावा हारने के तथ्य अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होने एवं बचावपक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को नकारा नही जा सकता है तथा बचाव पक्ष परिवादी पत्र की घटना में एक युक्ति—युक्त संदेह उत्पन्न करने में पूरी तरह से सफल रहा है। जिसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्तगण के पाने के पात्र है।
- 36— यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादपत्र की किण्डिका—5 में यह स्वीकर किया गया है कि इस परिवाद से पूर्व इसी घटना के संबंध में दिनांक—03.05.2000 को अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, जो पंजीबद्ध होने के बाद परिवादी अनुपरिथित में निरस्त हुआ, परन्तु उक्त निरस्ती के आदेश को चुनौती अपील / रिवीजन में न दी जाकर पुनः चार वर्ष नवीन परिवाद प्रस्तुत किया गया, जो कि विधि सम्यक् प्रक्रिया नहीं है, जिसके आधार पर यह परिवाद प्रचलन योग्य नहीं है।

- 37— परिवादी पर यह दायित्व था कि वह अपना प्रकरण युक्तियक्त संदेह से परे साबित करे, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ कि दिनांक—22.04.2000 को सुबह 04:00—05:00 बजे अभियुक्तगण ने परिवादी के घार के बाहर अवैध समूह का गठन कर बलवा कारित किया तथा उक्त समूह का सदस्य रहते हुये जिसका सामान्य उददेश्य परिवादी रूपसिंह व उसके पुत्र बुधभान को स्वेच्छया उपहित कारित करना था, के अग्रसरण में परिवादी रूपसिंह को काटने के उपकरण तलवार से एवं उसके पुत्र बुधभान के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई।
- 38— फलतः अभियुक्तगण जसरथ पुत्र श्रीपत, इमरत सिंह पुत्र श्रीपत, गुलाब सिंह पुत्र श्रीपत, मोहर सिंह पुत्र श्रीपत, सनमान सिंह पुत्र मोतीलाल के संबंध में भा०द०वि० की धारा 147, 323 अथवा 323/149 दो शीर्ष, 324 अथवा 324/149 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित नही होते, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण जसरथ पुत्र श्रीपत, इमरत सिंह पुत्र श्रीपत, गुलाब सिंह पुत्र श्रीपत, मोहर सिंह पुत्र श्रीपत, सनमान सिंह पुत्र मोतीलाल को भा०द०वि० की धारा 147, 323 अथवा 323/149 दो शीर्ष, 324 अथवा 324/149 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 39— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत् हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (14) <u>दांडिक प्रकरण क.—264/2004</u>